राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	617/2019 बंशी बनाम मिश्री देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 4 की और से अधिवक्ता श्री हेमन्त दीक्षित ने वकालतनामा पेश कर हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय का मूल वाद संख्या 256/2012 निर्णय दिनांक 13/08/2025 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/08/2025 को अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता रेस्पो. के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 13/08/2025 का अवलोकन किया गया। जिससे रेस्पो. की कथनं की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमांर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	